सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## NOTICE

फा. सं.: **NCST/ATY-1111/DL/1/2023-APCR** दिनांक: 01/05/2023

1. **श्री संजय अरोड़ा**
   पुलिस आयुक्त,
   दिल्ली पुलिस,
   दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,
   पश्चिमी दिल्ली - 110001
   Email Id: cp.bsbassi@nic.in

विषय: **अभियुक्तो द्वारा जाति सूचक शब्दों से अत्याचार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में - श्री रुडमल मीणा, नांगलोई, दिल्ली का अभ्यावेदन**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Rudmal Meena से दिनांक 21/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **07 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

(अंकित कुमार सेन )
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.:24645826
ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

रुडमल मीणा
डी -608, नांगलोई ,
कैंप न०2, दिल्ली -110041
दूरभाष : 9350224405
ई-मेल : roormalmeena@gmail.com